ग्राम पंचायत डैईं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डैईं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती हंसा चौहान	01.04.2013 से 22.1.2016
2	श्री संसार चन्द	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रूप लाल	1.4.2013 से 17.11.2015
2	श्री मनदीप डडवाल	18.11.2015 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत डैईं के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	6	पंचायत राजस्व की वसूली न करना	0.28
2	7	अनुदान का उपयोग न करना	8.10
3	8	बिना वाउचर बनाये भुगतान करना	0.22
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करना	0.14
5	10	भुगतान की पावतियाँ प्रस्तुत न करना	0.40

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत डैईं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2017 से 01.02.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न प्रकार से चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	03/2014	11/2013
2014–15	02/2015	03/2015
2015–16	04/2015	04/2015

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना के गलत/अपूर्ण अथवा उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत डैईं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 01.02.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत डैईं से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत डैईं द्वारा प्रस्तुत करवाये गए अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत डैई के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	100704	25911	126615	42856	83759
2014–15	83759	63834	147593	56220	91373
2015–16	91373	29155	120528	96598	23930

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	297024	1455380	1752404	1476659	275745
2014–15	275745	1339040	1614785	1126465	488320
2015–16	488320	1757461	2245781	1436182	809599

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

(क) स्वःस्त्रोत

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही का अन्तशेष ₹23930

(ख) अनुदान

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही का अन्तशेष ₹809599

कुल योग ₹833529

दिनांक 31.3.16 को बैंक खातों का अन्तशेष

(i)	मनरेगा	शून्य
(ii)	खाता संख्या 20049005606	833083
(iii)	हस्तगत राशि	446
	योग	**₹833529**

4.2 रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी भी रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान नहीं किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, बजट, कर, भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के विरूद्ध है। अतः इस अनियमितता बारे स्पष्टीकरण देते हुए, भविष्य में रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, बजट, कर व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में ग्राम पंचायत की वार्षिक आय तथा व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी भी पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। बजट/प्राक्कलन/अनुमोदित किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः इस बारे कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमों के अनुसार बजट/प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–II (क, ख)** में संलग्न विवरण के अनुसार राजस्व के रूप में ₹28400 की वसूली शेष थी। अतः गृहकर ₹14400 व मोबाईल टावरों के ₹14000 के राजस्व बकाया की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7 अनुदान ₹8.10 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–I** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹809599 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार, राशि को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी हेतु स्वीकृति प्राप्त करके, इस राशि का व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था/विभाग को किया जाये तथा पूर्ण किये जा चुके विकासात्मक कार्यों के लिए प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 बिना भुगतान बिल बनाये भुगतान करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा वाउचर तैयार न करके सीधे ही वेतनावलि में पंचायत प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के प्रतिकूल है, जिसके कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	अवधि	वेतनावलि पृष्ठ सं0	विवरण राशि	राशि
1	1.7.13 से 30.9.13	24	पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय	16150
2	2/2015	92	चौकीदार का मानदेय	2000
3	1.10.14 से 31.12	57	जलरक्षक का मानदेय	4050

भविष्य में सभी व्ययों/प्रभारों को वाउचर तैयार कर भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये तथा उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति न की जाए।

9 औपचारिकता पूर्ण किये बिना क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, बजट व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने के नियम है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 06 माह 04/2015 (सामान्य रोकड़ बही) द्वारा मै0 एस0के0 राणा धीरा से बिल संख्या 20 दिनांक 12.3.2015 ₹14333 का सरिया, बिना निविदाएँ आमन्त्रित किये खरीदा गया, जोकि नियमों के विपरीत है। अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाऐ।

10 भुगतान की पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण में निम्न प्रकरणों में भुगतानों की पावतियाँ जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनके अभाव में भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में इनकी पावतियाँ प्रस्तुत की जाये, तथा भविष्य में सभी भुगतानों से सम्बन्धित पावतियाँ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। ऐसे भुगतानों का विवरण निम्न हैः–

वाउचर संख्या	भुगतान का विवरण	सामग्री	राशि
06 माह 04/15 (पंचायत निधि)	बिल संख्या 20 दिनांक 12.3.15 मै0 एस0 के राणा धीरा	सरिया	14333
12 माह 04/15 (पंचायत निधि)	बिल संख्या शून्य मै0 सतीश कुमार धीरा	ईंटें	26000

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)

4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

12 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 95/2017–खण्ड–1–3361–3364 दिनाँक 17.06.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत डैईं, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881